5

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/936
दिनांक :– 31/5/2022

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषयः– उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों की शिकायत निवारण प्रावधानों रैगिंग के विरूद्ध संरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के संलग्नक पत्र दिनांक 18.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 (2019 का 40 की धारा –22) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु जनपद के समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं में पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव प्रति कुलपति को मा0 प्रति कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
03. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रभारी वेबसाइड, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

06 माह के अन्दर पूर्ण किये जाने वाले कार्यों की श्रेणी में/समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांक /स0क0/उभयलिंगी/2022-23 दिनांक 18 मई 2022

1-क्षेत्रिय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ। 2-संयुक्त निदेशक, आई0टी0आई0, जनपद मेरठ।
3-जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
4-समस्त राजकीय, अनुदानित व मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान, जनपद मेरठ।
5-समस्त प्रशिक्षण संस्थान, जनपद मेरठ(द्वारा क्षेत्रिय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ)

विषय- उभयलिंगी व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों की शिकायत निवारण प्रावधानों सहित रैगिंग के विरूद्ध संरक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सी-14/स0क0/टी0एस0यू0/2022-23 लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 (2019 का 40 की धारा-22), उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2020 के अन्तर्गत दिनांक 19-04-2022 को बोर्ड की बैठक में प्रदेश के स्कूलो और कालेजों में शिक्षकों और संकाय के सुग्राहीकरण के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये गये है-

1-समानता और लैंगिक विविधता के लिए सम्मान पैदा करने के लिए शैक्षणिक पाठयचर्या में बदलाव।
2-स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी पेशेवरों का सुग्राहीकरण।
3-मेडिकल शिक्षा के लिए पाठयक्रम में बदलाव। 4-कार्यस्थलों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम
5-सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी एक समिति होगी, जिस तक किसी प्रकार के उत्पीड़न और भेदवाव के मामले में उभयलिंगी व्यक्तियों की पहुँच होगी। इस समिति के पास ऐसे अधिकार होंगें जो यह सुनिश्चितक करेंगे कि शिक्षकों सहित उभयलिंगी व्यक्तियों को परेशान करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति से उभयलिंगी छात्रों पर कोई प्रभाव नही पड़ें।

शासन स्तर से उक्त क्रम में जनपद के समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं में उक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 (2019 का 40 की धारा-22), उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2020 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु जनपद के समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं में उक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वांछित सूचना निदेशालय को प्रेषित की जा सकें।

जिलाधिकारी,
मेरठ

पृष्ठांकन सं0 तद दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1-निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2-जिलाधिकारी, मेरठ। 3-मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4-जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

जिलाधिकारी,
मेरठ।

Transgender